मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ–58/7/2012/19/यो 6893 भोपाल दिनांक 24-11-12

प्रति,

1 प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
भोपाल।

2 समस्त मुख्य अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
.... परिक्षेत्र

3 समस्त अधीक्षण यंत्री,
लोक निर्माण विभाग,
~~भोपाल~~ मण्डल क्र. 2

4 समस्त कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग,
.... संभाग

5 प्रोजेक्ट डायरेक्टर (पी0एम0यू0),
पी0आई0यू0,
लोक निर्माण विभाग

विषयः कार्य विभाग नियमावली 1983 के अपेंडिक्स 2.13 प्रतिशत पर निविदा फार्म–ए तथा अपेंडिक्स 2.14 आयटम दर निविदा फार्म–बी की कंडिका 13 के उपयोग हेतु दिशा निर्देश।

संदर्भः म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग का पत्र कमांक एफ–63/डी/02/यो/19 दिनांक 8.1.2002

—0—

संदर्भित परिपत्र द्वारा कार्य विभाग नियमावली 1983 वाल्यूम–II के पार्ट–1 के अपेंडिक्स 2.13 प्रतिशत पर निविदा फार्म–ए तथा अपेंडिक्स 2.14 आयटम दर निविदा फार्म–बी की कंडिका 13 के प्रावधान का उपयोग करने संबंधी निर्देश जारी कर निर्णय लिया गया था कि जिस कार्य की निविदा आमंत्रित की जाती है उसके अतिरिक्त उस अनुबंध में कोई अन्य कार्य न कराया जाये एवं साथ ही निर्णय लिया गया था कि अनुबंधित के कार्य को पूर्ण कराने के लिये अतिरिक्त कार्य की मात्रा 25 प्रतिशत से अधिक होने की दशा में मूल अनुबंध में ही अतिरिक्त कार्य कराने के लिये शासन की स्वीकृति आवश्यक है। शासन एतद् द्वारा उक्त संदर्भित परिपत्र दिनांक 8.1.2002 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है एवं निर्णय लिया जाता है कि अनुबंध में 10 प्रतिशत से अधिक मात्रा के अनुपूरक कार्य को शासन के परिपत्र क. 52/1/10/यो/19/2277 भोपाल दिनांक 6.5.11 के अनुसार शासन की पूर्व स्वीकृति के उपरांत किये जा सकेंगे।

सहपत्रः— उपरोक्तानुसार

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
23.11.12
(आर0 के0 मेहरा)
अपर सचिव
म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग

पृ.क्रमांक एफ–58/7/2012/19/यो 6894 भोपाल दिनांक 24-11-12

प्रतिलिपि :—

1— महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर/भोपाल।
2— निज सचिव, मान0 मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग भोपाल।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्र 0

23.11.12
अपर सचिव
म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग

Desktop/Addl Secy/Order 54